

राजस्थान सरकार

Government of Rajasthan

निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग

DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY,

खनिज भवन/Khanij Bhawan, उदयपुर/Udaipur-313001.

दूरभाष/Phones: 2415091-95, फेक्स/Fax: (0294)-2410526

क्रमांक:निखाभू/प्रधान/नियम/प-45/04/II/973

दिनांक: 29.12.11

कार्यालय- आदेश

सीमेन्ट ग्रेड लाईमस्टोन के अधिशुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक: प.16(8)खान/युप.2/2000-पार्ट दिनांक 23.06.2010 के क्रम में यह निर्देश जारी किये जाते हैं कि पूर्व के लम्बित अधिशुल्क निर्धारण के प्रकरणों में पट्टाधारी द्वारा जो खनिज लाईमस्टोन के निर्गमन का रिकार्ड प्रस्तुत किया है एवं परिपत्र दिनांक 23.6.10 में दी गयी प्रक्रिया अपनाने के पश्चात तीन माह का औसत लेकर कंजम्पशन फैक्टर की गणना कर उनमें से जो भी लाईमस्टोन की अधिकतम मात्रा होगी उसी अनुसार अधिशुल्क निर्धारण किया जाये। इस प्रकार के लम्बित अधिशुल्क निर्धारण के प्रकरण निम्नांकित अधिकारियों की गठित कमेटी से अनुमोदन करा सक्षम अधिकारी निस्तारित करेंगे।

1. अतिरिक्त निदेशक (खान), मुख्यालय के० का० उदयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार / लेखाधिकारी।
3. संबंधित अधीक्षण खनि अभियंता, वृत्त
4. संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता।

निदेशक
24/12/11
खान एवं भूविज्ञान विभाग,
राजस्थान, उदयपुर।
दिनांक: 29.12.11

क्रमांक: सम/ 974 — 1010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को निदेशालय के पृष्ठांकन क्रमांक: 204-300 दिनांक 22.7.10 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. अतिरिक्त निदेशक खान उदयपुर/जोधपुर/जयपुर-जोन/मुख्यालय पर्यावरण एवं विकास, के०का० उदयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, के० का०, उदयपुर।
3. निजी सहायक (निदेशक) के० कार्यालय, उदयपुर।
4. अधीक्षक खनि अभियंता मु०-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/सतर्कता/ वृत्त-जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/भीलवाडा/भरतपुर/कोटा/बीकानेर।
5. खनि अभियंता, जयपुर/अजमेर/सीकर/मकराना/भरतपुर/करौली/धौलपुर/अलवर/कोटा/रामगंजमण्डी/बून्दी-1/बून्दी-11/जोधपुर/सिरोही/बीकानेर/नागौर/सोजतसिटी/उदयपुर/राजसमन्द-प्रथम/राजसमन्द-11/आमेट/भीलवाडा/चित्तौडगढ़/बिजौलिया/प्रतापगढ़।
6. सहायक खनि अभियंता, टोंक/कोटपुतली/झालावाड/बालेसर/बाडमेर/जालौर/श्रीगंगानगर/जैसलमेर/गोटन/डुंगरपूर/बांसवाडा/सलुम्बर/ऋषभदेव/निम्बाहैडा।
7. कार्यालय अधीक्षक/रियायती लिपिक-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/सप्तम/अष्टम/नवम/दसम/ग्यारह/बारह।

अधीक्षण खनि अभियंता (मु०-11)